प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

बुक नं0

1. जिला **ओपी एसीबी, विअनुई. जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यू0 जयपुर** वर्ष **2022**.....
प्र0इ0रि0 सं. **166/2022**.....दिनांक.....6/5/22.....

2. (I) * अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988**(संशोधित अधिनियम 2018)**
.धारायें.....**7, 7ए**

(II) * अधिनियम .....**भादस**....धारायें .....120 बी .....

(III) *अधिनियम ..... धारायें .....

(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....120..... समय .....7:30 P.M.

(ब) *अपराध घटने का वार.....**गुरूवार**....दिनांकः—05.05.2022 समय 01:00 पी.**एम**

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक **25.04.2022**

4. सूचना की किस्म :— लिखित/मौखिक—**लिखित**

5. घटनास्थल :—
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः—

(ब)*पता..... .....
.....बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :—
(अ) नाम श्री **बाबूलाल मीणा** .....
(ब) पिता/पति का नाम **श्री भूरामल मीणा**.....
(स) जन्म तिथी/वर्ष वर्ष.....
(द) राष्ट्रीयता .....**भारतीय**.....
(य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .....
जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसाय .....

(ल)पता – निवासी ग्राम ढोलावास तहसील राहुवास जिला दौसा।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –

1— श्री जगदीश प्रसाद मीना पुत्र श्री गोपीलाल मीना उम्र 45 साल निवासी जोड़ल्या की ढाणी, भगलाव, दौसा हाल कानि0 नम्बर 588, पुलिस थाना नांगल राजावतान, जिला दौसा।

2— श्री बनवारी लाल पुत्र स्व0 श्री सम्पत राम जाति जाटव उम्र 49 साल निवासी मंगलेशपुर पुलिस थाना रामगढ जिला अलवर हाल उप निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना नांगल राजावतान, जिला दौसा

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :—.....

9

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).

10. * चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .... **रिश्वती राशि 1,00,000/–रूपये**

11. * पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

दिनांक 25.04.2022 को परिवादी श्री बाबूलाल मीणा पुत्र श्री भूरामल मीणा निवासी ग्राम ढोलावास तहसील राहुवास जिला दौसा के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मेरे खिलाफ दिनांक 20.04.2022 को पुलिस थाना नांगल राजावतान में अपराध धारा 376 (2)(एन), 506 भादंसं में दर्ज की है जिसका एफआईआर नम्बर 113/2022 है उक्त एफआईआर में एफआर देने की एवज में एसएचओ बनवारी लाल जाटव उसके ही थाने का सिपाही जगदीश मीणा की मार्फत चार लाख रूपये की रिश्वत की मांग कर रहा है मैं उनको रिश्वत नहीं देना चाहता हूं मैं उसको रंगे हाथों गिरफतार करवाना चाहता हूं। उक्त रिपोर्ट पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री सचिन शर्मा उप अधीक्षक पुलिस को अग्रिम कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित आदेश करने पर श्री सचिन शर्मा, उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री बाबूलाल से प्रस्तुत रिपोर्ट के सम्बंध में मजीद दरियाफ्त करने पर परिवादी ने बताया कि मेरे छोटा भाई राजेन्द्र मीणा की पत्नि श्रीमती छनमन देवी ग्राम ढोलावास की सरपंच है, जो मेरे परिवार से होने के कारण उक्त के समस्त कार्य ज्यादातर मैं ही सम्भालता हूं। मेरे गोपाल विहार, दांतली, जयपुर में स्थित मकान पर आकर मेरे परिवारजन से मारपीट कर चोरी करने के कारण मैंने अप्रार्थीगण श्री बसराम, लालाराम पुत्रान छितरमल मीणा, तीजा देवी, सीता देवी, नारायणी देवी, छितर मल आदि के विरूद्ध पुलिस थाना रामनगरिया, जयपुर में मुकदमा सं. 61/2022 दर्ज करवाया था। उक्त प्रकरण दर्ज करवाने के बाद अप्रार्थीपक्ष के बसराम ने मेरे खिलाफ रंजीशवश अपनी पत्नि सुनीता से पुलिस थाना नांगल राजावतान में झूठा बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया। जिसके एफआईआर नम्बर 113/2022 धारा 376(2)(एन), 506 भादंसं है। उक्त प्रकरण का अनुसंधान थानाधिकारी श्री बनवारीलाल जाटव कर रहे है। श्री बनवारीलाल जाटव मुझे उक्त प्रकरण में मुझे गिरफ्तार नहीं कर प्रकरण में एफआर देने की एवज में स्वयं तथा अपने थाने के कानि0 श्री जगदीश मीणा के मार्फत चार लाख रूपये की रिश्वत की मांग कर रहे है रिश्वत नहीं देने मुझे गिरफतार करने की धमकी दे रहे है। मैं उनको किसी प्रकार की कोई रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। मेरी उनसे कोई रंजिश नहीं है तथा न ही कोई लेन–देन बकाया है। मैं उनको रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। परिवादी ने पुलिस थाना रामनगरिया पर स्वयं द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर तथा पुलिस थाना नांगल राजावतान पर स्वयं के विरूद्ध दर्ज प्रकरण की एफआईआर की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की। जिनका टीएलओ द्वारा अवलोकन किया जाकर शामिल मिसल किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन तथा परिवादी से हुई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर टीएलओ श्री सचिन शर्मा, द्वारा ट्रेप कार्यवाही से पूर्व रिश्वत मांग सत्यापन आवश्यक होने से श्री हिम्मत सिंह कानि0 560 को अपने कार्यालय में तलब कर परिवादी से परिचय करवाया गया तथा उक्त कानि0 से कार्यालय से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मंगवाया जाकर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर का खाली होना सुनिश्चित किया गया तथा एक खाली मेमोरी कोर्ड (सेन डिस्क अल्ट्रा कम्पनी का 32 जीबी) मंगवाया जाकर मेमोरी कार्ड के खाली होना सुनिश्चित कर उसे विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया की परिवादी को आवश्यक समझाईस की गई। तत्पश्चात परिवादी एवं श्री हिम्मत सिंह कानि0 560 को मामले की गोपनीयता की आवश्यक हिदायत कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु

रवाना किया जाकर मामले का सत्यापन करवाया गया। दिनांक 26.04.2022 को सत्यापन के दौरान डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई वार्ता को सुनने पर तथा परिवादी द्वारा वार्ता के सम्बंध में बताने पर संदिग्ध अधिकारी श्री बनावारीलाल जाटव, उप निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना नांगल राजावतान जिला दौसा एवं परिवादी श्री बाबूलाल मीणा के साले श्री प्रहलाद (सह परिवादी) के मध्य परिवादी के विरूद्ध पुलिस थाना नांगल राजावतान पर दर्ज प्रकरण के सम्बंध में वार्ता होना पाया। इसके अलावा रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री बाबूलाल मीणा तथा आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीणा के मध्य हुई वार्ता में आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीणा द्वारा परिवादी के विरूद्ध पुलिस थाना नांगल राजावतान पर दर्ज प्रकरण में परिवादी को गिरफतार नहीं करने तथा प्रकरण में एफआर दिलवाने की एवज में रिश्वत की मांग किया जाना सत्यापित हुआ। दिनांक 04.05.2022 को श्री सचिन शर्मा, उप अधीक्षक पुलिस के दिगर राजकार्य में व्यस्त होकर ब्यूरो मुख्यालय से बाहर होने के कारण श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय में मन् उप अधीक्षक पुलिस का परिवादी से परिचय करवाकर परिवादी की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् उप अधीक्षक पुलिस को पृष्ठांकित आदेश कर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादी से मजीद पूछताछ की गई तो परिवादी ने बताया कि मेरे विरूद्ध पुलिस थाना नांगल राजावतान पर प्रकरण सं0 113/2022 धारा 376(2)(एन), 506 भादंसं में दर्ज है जिसमें संदिग्ध अधिकारीगण तथा कर्मचारीगण द्वारा मुझे गिरफतार नहीं कर एफआर देने की एवज में मुझसे रिश्वत की मांग कर रहे है, मेरे विरूद्ध दर्ज प्रकरण का अनुसंधान श्री बनवारीलाल, उप निरीक्षक पुलिस कर रहे है। जिसका दिनांक 26.04.2022 को सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान संदिग्ध अधिकारी श्री बनवारीलाल, उप निरीक्षक तथा मेरे साले श्री प्रहलाद के मध्य वार्ता हुई जिसमें संदिग्ध अधिकारी श्री बनवारीलाल ने मेरे विरूद्ध दर्ज प्रकरण के सम्बंध में वार्ता की है तथा सत्यापन के समय मेरी वार्ता पुलिस थाना नांगल राजावतान पर पदस्थापित श्री जगदीश प्रसाद मीणा कानि0 से हुई है जिसमें उसने मेरे से प्रकरण में गिरफतार नहीं करने तथा प्रकरण में एफआर दिलवाने की ऐवज में मुझसे 3,00,000/– रूपये की मांग की है तथा मेरे समक्ष ही उसने संदिग्ध अधिकारी श्री बनवारीलाल, उप निरीक्षक पुलिस से इस सम्बंध में वार्ता की है।

तत्पश्चात सत्यपन में परिवादी के साथ रहे कानि0 श्री हिम्मत सिंह नं0 560 द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्रस्तुत करने पर सत्यापन के दौरान डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई वार्ता को सुनने पर सह परिवादी श्री प्रहलाद तथा संदिग्ध अधिकारी बनवारीलाल, उप निरीक्षक के मध्य वार्ता होना पाया गया। इसके पश्चात डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वॉयस क्लिप में परिवादी तथा आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीणा के मध्य वार्ता होना तथा उक्त वार्ता में आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीणा द्वारा परिवादी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण सं0 113/2022 में परिवादी को गिरफतार नहीं करने तथा प्रकरण में एफआर दिलवाने की ऐवज में 3,00,000/– रूपये की मांग करने की पुष्टि हुई। तत्पश्चात परिवादी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीणा मुझे बार–बार व्हाट्सएप्प कॉल कर मुझसे रिश्वत की मांग कर रहा है तथा नहीं देने पर प्रकरण में गिरफतार करने की धमकी दे रहा है। दिनांक 04.05.2022 को परिवादी श्री बाबूलाल मीणा एवं आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीणा के रिश्वत मांग के अनुसरण में व्हाट्सएप्प कॉल पर हुई वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया तथा उक्त वार्ताओं को सुनने पर आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीणा द्वारा परिवादी को रिश्वत राशि लेकर बुलाने की पुष्टि होना पाया गया। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री बाबूलाल को दिनांक 05.05.2022 को प्रातः आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर लाने की हिदायत दी गई तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान को पाबंद करवाया गया।

दिनांक 05.05.2022 को परिवादी कार्यालय में उपस्थित आया, परिवादी की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही हेतु पूर्व से तलबिदा स्वतंत्र गवाहान श्री डिम्पल कुमार बैरवा पुत्र श्री भगवान सहाय बैरवा उम्र 27 साल निवासी ग्राम रैणी तहसील रैणी जिला अलवर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स, झालाना डूंगरी, जयपुर एवं श्री विष्णु शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा उम्र 25 साल निवासी ग्राम उताडा तहसील बस्सी जिला जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स, झालाना डूंगरी, जयपुर उपस्थित आये। जिस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान को गोपनीय ट्रेप कार्यवाही के आयोजन के बारे में अवगत कराकर गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह के तौर पर उपस्थित रहने बाबत सहमति चाही गई तो दोनों ही स्वतंत्र गवाहान ने स्वेच्छा से अपनी–अपनी सहमति प्रदान की। जिस पर दोनों स्वतत्र गवाहान का उपस्थित परिवादी श्री बाबूलाल मीणा से परिचय करवाया गया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को दिखाया तथा पढाया गया। तत्पश्चात दोनों गवाहान से परिवादी की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात प्रधान आरक्षी केन्द्र, एसीबी, जयपुर से तलबिदा कानि0 श्री अशोक कुमार कानि0 नं0 367 कार्यालय में उपस्थित आया। जिसका उपस्थित परिवादी एवं गवाहान से परिचय करवाया गया, तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री बाबूलाल मीणा को संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि के बारे में कहा गया तो परिवादी ने अपने 500–500 रूपये के 200 नोट कुल 1,00,000/– रूपये निकाल कर मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष प्रस्तुत की तथा परिवादी ने बताया कि अभी इतने ही रूपयों की व्यवस्था हो पाई है।

इसके पश्चात उक्त समस्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित कर स्वतंत्र गवाहान से मिलान करवाया गया। श्री अशोक कुमार कानि0 नं0 367 से कार्यालय की आलमारी में रखी हुई फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर उपस्थित स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के समक्ष परिवादी द्वारा प्रस्तुत संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि के समस्त नोटों पर अच्छी तरह से फिनॉफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर उपस्थितगणों को फर्द दृष्टान्त की कार्यवाही की आवश्यक समझाईस करवाई गई। उक्त कार्यावाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर मूर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

इसके पश्चात उपरोक्त मौतबिरान एवं समस्त ट्रेप पार्टी को आवश्यक हिदायत मुनासिब कर परिवादी की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करते हुये ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री रघुवीरशरण, निरीक्षक पुलिस मय श्री राकेश कुमार, सहायक उप निरीक्षक, कानि0 श्री दिलावर खान कानि0 नं0 246, श्री विनोद कुमार कानि0 नं0 242 मय सरकारी वाहन एवं चालक को तथा दूसरे सरकारी वाहन में श्री देवेन्द्र सिंह कानि. 334, श्री अमित कानि0 489, श्रीमती निधि कानि0 86, स्वतंत्र गवाहान श्री विष्णु शर्मा, कनिष्ठ सहायक मय चालक मय लेपटॉप, प्रिंटर, कागज एवं ट्रेप बॉक्स, दो पीने के पानी की भरी हुई बोतल आदि साजो सामान के दौसा पहुचने की हिदायत कर रवाना किया। मन् उप अधीक्षक पुलिस भी मय स्वतंत्र गवाहान श्री डिम्पल कुमार, कनिष्ठ सहायक तथा कानि0 श्री हिम्मत सिंह नं0 560, कानि0 श्री मनीष सिंह नं0 486 तथा परिवादी श्री बाबूलाल मीणा के साथ परिवादी की गाडी सं0 आरजे 14 जेड सी 6030 में दौसा हेतु ब्यूरो मुख्यालय से समय 10:40 एएम पर रवाना हुआ। परिवादी ने बताया कि संदिग्ध श्री जगदीश प्रसाद मीणा मुझे रिश्वत राशि लेकर दौसा में चांदा होटल पर बुलाया है। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के समय करीब 12:00 पीएम पर लालसोट ओवर ब्रिज के पास, दौसा पहुचें, जहां पर परिवादी की गाडी को रोड के किनारे खडा करवाया, थोडी ही देर में ब्यूरो मुख्यालय से रवानाशुदा जाब्ता भी परिवादी की गाडी के पीछे–पीछे लालसोट ओवर ब्रिज के पास, दौसा पहुंचे। चूंकि संदिग्ध श्री जगदीश प्रसाद मीणा कानि0 ने परिवादी को रिश्वत राशि लेकर चांदा होटल दौसा बुलाया है तथा संदिग्ध अधिकारी श्री बनवारी लाल जाटव, उप निरीक्षक पुलिस

थाना नांगल राजावतान पर ही है। जिसके लिये श्री रघुवीरशरण, निरीक्षक पुलिस मय श्री राकेश कुमार, सहायक उप निरीक्षक, कानि0 श्री दिलावर खान कानि0 नं0 246, श्री विनोद कुमार कानि0 नं0 242 मय सरकारी वाहन एवं चालक को नांगल राजावतान के आस–पास रहकर संदिग्ध अधिकारी की निगरानी रखने की आवश्यक हिदायत कर पुलिस थाना नांगल राजावतान रवाना किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान एवं हमराहियान जाब्ते के परिवादी के बताये अनुसार चांदा होटल, दौसा हेतु रवाना होकर समय करीब 01:00 पीएम पर चांदा होटल, दौसा के सामने पहुंचा, जहां पर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर हिदायत हुई कि आप डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर संदिग्ध आरोपी से होने वाली वार्ता को इसमें रिकॉर्ड करें तथा संदिग्ध अधिकारी द्वारा मांगने पर उक्त रिश्वती राशि अपने जेब से निकालकर उसको देवें, संदिग्ध अधिकारी से हाथ नहीं मिलावें तथा संदिग्ध अधिकारी को रिश्वत राशि देने के बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता को पूर्व निर्धारित ईशारा करें। बाद हिदायत परिवादी को उसकी गाडी से चांदा होटल के सामने रवाना किया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ता तथा स्वतंत्र गवाहान के सरकारी वाहन मय जाप्ता को परिवादी की गाडी से दूर खडा होकर परिवादी के इर्द–गिर्द रहते हुये अपनी उपस्थिति छुपाते हुये संदिग्ध आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीना के इंतजार में मुकीम रहने हेतु निर्देशित कर मन् उप अधीक्षक पुलिस भी परिवादी के आस–पास संदिग्ध आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीना के आने के इंतजार में मूकिम रहा। कुछ समय पश्चात एक व्यक्ति मोटर साईकिल नं0 आरजे 29 एसजेड 4982 पर आकर परिवादी की गाडी के पास रूका तथा परिवादी से वार्ता करने लगा। तुरन्त ही परिवादी श्री बाबूलाल ने पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ता मय उपरोक्त मौतबिरान के गाडी के पास पहुंचा तो परिवादी ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्रस्तुत किया, जिसे बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात परिवादी ने मोटरसाईकिल पर बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यह ही संदिग्ध श्री जगदीश प्रसाद मीना पुलिस थाना नांगल राजावतान का कानि0 है, जो मुझसे मेरे विरूद्ध पुलिस थाना नांगल राजावतान पर दर्ज प्रकरण सं0 113/2022 में मुझे गिरफ्तार नहीं करने तथा एफआर दिलवाने की ऐवज में मुझसे तीन लाख रूपये की रिश्वत की मांग कर उक्त मांग के अनुसरण में अभी रिश्वत राशि मांगने पर मैंने उक्त फिनॉफ्थलीन पाउडर युक्त 1,00,000/– रूपये की रिश्वत राशि दे दी, जिसने उक्त रिश्वति राशि अपने बायें हाथ में लेकर अपने हरे रंग के बैग में रखी है। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री जगदीश मीना ने रिश्वत मांग सत्यापन के समय भी मेरे सामने किसी से फोन वार्ता पर वार्ता कर कहा था कि मेरी मेरे थानाधिकारी से बात हो गई है। इसलिये उसने यह रिश्वत अपने थानाधिकारी के लिये ही ली है। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त संदिग्ध को अपना तथा हमराहियान का परिचय देकर अपने आने का प्रयोजन बताते हुये नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री जगदीश प्रसाद मीना पुत्र श्री गोपीलाल मीना उम्र 45 साल निवासी जोड़ल्या की ढाणी, भगलाव, दौसा हाल कानि0 नम्बर 588, पुलिस थाना नांगल राजावतान, जिला दौसा होना बताया। तत्पश्चात संदिग्ध आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीना को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष पूछा की अभी आपने श्री बाबूलाल मीना से कोई रिश्वती राशि ली है, तो पहले तो संदिग्ध आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीना घबरा गया और कहा कि मैंने बाबूलाल से कोई रिश्वत नहीं ली है यह तो मेरे हिसाब किताब तथा उधारी के पैसे थे जो इसने मुझे दिये है फिर तसल्ली देकर आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीना को पुनः पूछा गया तो उसने बताया कि श्री बाबूलाल मीना के विरूद्ध हमारे थाने में बलात्कार का मुकदमा दर्ज है जिसमें यह मेरे पास मदद के लिये आया था तब मैंने इसको कहा था की तेरे खर्चा लगेगा और तुझे तीन लाख रूपये देने होगे। इसलिये यह पैसे देने के लिये आया था तो आज यह एक लाख रूपये देने आया जो मैंने इससे यह राशि लेकर अपने बैग में रख ली है। यह राशि मैंने अपने लिये ली है। तत्पश्चात

(6)

मौके पर उपस्थित परिवादी ने बताया इसने यह राशि स्वयं के लिये तथा अपने थानाधिकारी श्री बनवारी लाल के लिये ली है इसने रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान मेरे सामने ही किसी से फोन पर बात कर मुझे कहा था कि यह थानाधिकारी, पुलिस थाना नांगल राजावतान का ही फोन था उनसे मेरी बात हो चुकी है। फिर पुनः आरोपी से इस सम्बंध में पूछताछ की तो आरोपी श्री जगदीश प्रसाद ने थानाधिकारी से पूर्व में रिश्वत के सम्बंध में कोई वार्ता होने से इनकार करते हुये बताया कि श्री बाबूलाल मीना के मुकदमें के सम्बंध में थानाधिकारी से मेरी कोई वार्ता नहीं हुई है। चूंकि मौके पर लोगों की अत्यधिक भीड़ एकत्रित होने के कारण अग्रिम कार्यवाही की जाना सम्भव नहीं है तथा प्रकरण में थानाधिकारी, पुलिस थाना नांगल राजावतान की भूमिका भी संदिग्ध है जिस हेतु मामले की गोपनीयता बनाये रखना आवश्यक है। इसलिये आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीना का दांया हाथ कानि. हिम्मत सिंह कानि0 560 तथा बांया हाथ कानि श्री मनीष सिंह नं0 486 को पकडवाकर सरकारी वाहन में बिठाया गया तथा आरोपी के हरे रंग के बैग को स्वतंत्र गवाह श्री डिम्पल कुमार, कनिष्ठ सहायक को सुरक्षित सम्भलाया जाकर आवश्यक हिदायत की गई तथा स्वतंत्र गवाह श्री विष्णु शर्मा, कनिष्ठ सहायक को आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीना की मोटरसाईकिल नं. आरजे 29 एसजेड 4982 की चाबी सुपुर्द कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ते के सरकारी वाहन के पीछे–पीछे लेकर आने की हिदायत की गई। तत्पश्चात श्री रघुवीरशरण, पुलिस निरीक्षक को अब तक की कार्यवाही से अवगत कराकर संदिग्ध श्री बनवारी लाल, थानाधिकारी पुलिस थाना नांगल राजावतान जिला दौसा की निगरानी हेतु निर्देशित किया। चूंकि परिवादी के बताये अनुसार मामले में आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीना की थानाधिकारी, पुलिस थाना नांगल राजावतान से मिलीभगत करने की पुष्टि हेतु थानाधिकारी से आरोपी का आमना–सामना करवाया जाना आवश्यक है। अतः मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान तथा आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीना के पुलिस थाना नांगल राजावतान के लिये रवाना होकर समय 02:20 पीएम पर पुलिस थाना नांगल राजावतान पहुंचा, जहां पर पूर्व से मामूरशुदा श्री रघुवीरशरण, पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता के उपस्थित मिले। स्वतंत्र गवाह श्री विष्णु शर्मा भी आरोपी की मोटरसाईकिल लेकर पुलिस थाना नांगल राजावतान पहुंचा, जिसे थाना परिसर में सुरक्षित खडा करवाया गया। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस थाने पर उपस्थित संतरी को थानाधिकारी के बारे में पूछा तो संतरी ने थानाधिकारी को अपने कार्यालय में उपस्थित होना बताया तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस थानाधिकारी, पुलिस थाना नांगल राजावतान के कार्यालय कक्ष में जाकर कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को अपना परिचय देकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री बनवारी लाल पुत्र स्व0 श्री सम्पत राम जाति जाटव उम्र 49 साल निवासी मंगलेशपुर पुलिस थाना रामगढ जिला अलवर हाल उप निरीक्षक, पुलिस थाना नांगल राजावतान, जिला दौसा होना बताया। तत्पश्चात श्री बनवारीलाल, उप निरीक्षक पुलिस को आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीना के सम्बंध में पूछा तो श्री बनवारी लाल ने बताया कि यह मेरे थाने का सिपाही है। इसकी ड्यूटी पपलाज माता के मेले में कल दिनांक 04.05.2022 से लगाकर रवाना किया हुआ है। जिस पर थानाधिकारी को परिवादी श्री बाबूलाल मीना के विरूद्ध दर्ज प्रकरण के सम्बंध में पूछा तो थानाधिकारी ने बताया कि श्री बाबूलाल मीना के विरूद्ध मेरे थाने पर प्रकरण सं0 113/2022 दर्ज है जिसका अनुसंधान मैं कर रहा हूं। उक्त प्रकरण में पीडिता के बयान धारा 161 एवं 164 सीआरपीसी के बयान हो चुके है, नक्शा मौका कार्यवाही तथा पीडिता का मेडिकल करवाया जा चुका है। तत्पश्चात उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष थानाधिकारी पुलिस थाना नांगल राजावतान से सत्यापन के समय सह परिवादी श्री प्रहलाद से दिनांक 26.04.2022 को हुई वार्ता के सम्बंध में पूछने पर श्री बनवारीलाल ने बताया कि मैं परिवादी श्री बाबूलाल के रिश्तेदार को नहीं जानता हूं मेरे से परिवादी के प्रकरण के सम्बंध में कोई बात हुई है तो मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। दिनांक 26.04.2022 को जगदीश कानि0 से इस प्रकरण के सम्बंध में कोई बातचीत नहीं हुई है इसके अलावा जगदीश थाने पर कार्यरत है ड्यूटी के

(4)

सम्बंध में कोई बातचीत हुई तो उसकी मुझे अभी जानकारी नहीं है। रिश्वत मांग सत्यापन के समय तीन लाख रूपये के उल्लेख करने के सम्बंध में श्री बनवारीलाल, उप निरीक्षक से पूछने पर उन्होंने बताया कि मुझे अभी उस वक्त क्या बात हुई थी उसकी जानकारी नहीं है। तत्पश्चात मौके पर उपस्थित आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीना ने भी बताया कि मैंने परिवादी श्री बाबूलाल के प्रकरण के सम्बंध में कोई बातचीत नहीं की है। मैंने यह रिश्वत राशि मेरे लिये ही प्राप्त की है। तत्पश्चात परिवादी श्री बाबूलाल मीना द्वारा बताये गये तथ्यों की ओर पुष्टि हेतु सरकारी गाडी से पीने के पानी की बोतल तथा ट्रैप बॉक्स मंगवाया जाकर दो साफ कांच के गिलासो में भरकर उनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर प्रक्रियानुसार मिश्रण तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया। मौके पर उपस्थित सभी ने उक्त मिश्रण को रंगहीन होना बताया। इसके बाद एक गिलास के मिश्रण में आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीना के दाहिने हाथ की अगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर गधमेला हो गया, जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर सील मोहर कर चिटचस्पा कर मार्क R–1 व R–2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इस प्रकार दूसरे गिलास के तैयारशुदा मिश्रण में आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीना के बांये हाथ की अगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर सीलचिट कर मार्क L–1 व L–2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर बाद शील्डमोहर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद उपरोक्त आरोपी की मौजूदगी में परिवादी के बताये अनुसार स्वतंत्र गवाह श्री डिम्पल कुमार, कनिष्ठ सहायक से आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीना, कानि0 के हरे रंग के बैग की तलाशी लिवाई गई तो बैग के उपर की चैन/जेब से 500–500 रूपये की दो गड्डियां बरामद होना पाया गया। जिसे स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो उक्त गड्डी में 500–500 रूपये के कुल 200 नोट कुल 1,00,000/– रूपये बरामद हुये। जिनको दोनों स्वतंत्र गवाहान से चैक करवाकर उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो सभी नोटों के नम्बर फर्दानुसार हूबहू पाये गये।

तत्पश्चात आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीना के बैग के उपर की चैन/जेब में रखी बरामदशुदा रिश्वती राशि 1,00,000/–रू0 को एक कागज की चिट में सिलकर सीलमोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, उक्त घोल को हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त कांच के गिलास के घोल में आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीना के उक्त हरे रंग के बैग, जिस पर WESTCODE लिखा हुआ है तथा जिसके उपर की चैन/जेब, जहां से रिश्वती राशि बरामद हुई, का प्रक्रियानुसार एक सफेद कपडे की चिंदी से धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। धोवन को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर सीलचिट कर मार्क B–1 एवं B–2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिये गये। धोवन में उपयोग में ली गई कपडे की चिन्दी को सुखाकर एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थेली में सील्ड मोहर कर मार्का ' C' अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीना के कब्जे से बरामद हरे रंग के बैग, जिस पर WESTCODE लिखा हुआ है, जिससे रिश्वत राशि बरामद हुई है, को बतौर

वजह सबूत होने से एक सफेद कपडे की थेली में सील्ड मोहर कर मार्का ' B' अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात गवाह श्री डिम्पल कुमार, कनिष्ठ सहायक से आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीना की जामा तलाशी लिवाई गई तो आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीना कानि0 के पास दो मोबाईल फोन, जिनमें से एक मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी का, बरंग काला जिसके आईएमईआई नम्बर 35081366032268801 एवं 35792993032268901 है जिसमें दो सीम लगी हुई है एक बीएसएनएल कम्पनी की जिसके नम्बर 9530430216 दूसरी सीम के नम्बर 9783922200 है। दूसरा स्पाईस कम्पनी का एक छोटा मोबाईल फोन जिसमें सिम नम्बर 9413036100 लगी हुई है। जिसके आईएमईआई नम्बर 911588959424005, 911588959424013 है। आरोपी ने बताया कि मेरे छोटे मोबाईल फोन में सिम नम्बर 9413036100 लगी हुई है उस सिम नम्बर से व्हाट्स एप्प मैं मेरे सेमसंग के फोन में उपयोग करता हूं। आरोपी की जामा तलाशी में मिले उक्त मोबाईल फोनों को सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया।

तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीना से परिवादी श्री बाबूलाल मीना के विरूद्ध दर्ज प्रकरण की पत्रावली के सम्बंध में पूछने पर आरोपी ने बताया कि उनके विरूद्ध दर्ज प्रकरण का अनुसंधान थानाधिकारी कर रहे है। थानाधिकारी की पत्रावली उन्हीं के पास है या उनके रीडर बसन्ताराम के पास है। मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं है। जिस पर थानाधिकारी पुलिस थाना नांगल राजावतान को परिवादी श्री बाबूलाल के विरूद्ध थाने पर दर्ज प्रकरण की पत्रावली के सम्बंध में पूछने पर उन्होंने बताया कि उक्त पत्रावली का अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। जिस पर थानाधिकारी श्री बनवारी लाल को परिवादी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण की पत्रावली की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने हेतु कहने पर थानाधिकारी ने प्रकरण सं0 113/2022 धारा 376(2)(एन), 506 भादंसं की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई, पत्रावली में पीडिता के धारा 164 जाफो के बयान की प्रति गोपनीयता रखने के लिये लिफाफे में रखकर बंद कर थानाधिकारी के हस्ताक्षर करवाये गये। पत्रावली को बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में दर्ज वार्ता को सुनने पर उसमें परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के आदान–प्रदान के समय की वार्ता रिकॉर्ड नहीं होने के सम्बंध में परिवादी ने पूछने पर बताया कि उस समय आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीणा तुरन्त मेरी गाडी के पास आया तथा ईशारे से मुझसे रिश्वत की मांग करने पर मैंने उसको रिश्वत राशि जेब से निकालकर दे दी थी उस समय हमारी बातचीत नहीं हुई थी। इस कारण से रिश्वत राशि आदान–प्रदान की वार्ता नहीं होने के कारण फर्द वार्ता रूपान्तरण तैयार नहीं की जा सकी। आरोपी की मोटर साईकिल आरजे 29 एसजेड 4982 की चाबी आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीना, कानि. के कहे अनुसार पुलिस थाना नांगल राजावतान पर

पदस्थापित श्री राकेश सिंह, सहायक उप निरीक्षक पुलिस को आरोपी की मोटरसाईकिल आरजे 29 एसजेड 4982 सम्भलाई जाकर उसकी चाबी सुपुर्द की गई।

अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीना पुत्र श्री गोपीलाल मीना उम्र 45 साल निवासी जोड़ल्या की ढाणी, भगलाव, दौसा हाल कानि0 नम्बर 588, पुलिस थाना नांगल राजावतान, जिला दौसा द्वारा परिवादी श्री बाबूलाल मीणा के विरूद्ध पुलिस थाना नांगल राजावतान के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में परिवादी को गिरफतार नहीं करने तथा प्रकरण में एफआर दिलवाने की एवज में 1,00,000/– रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करने से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी को उसके जुर्म एवं संवेधानिक अधिकारों से आगाह कर रूबरू मौतबिरान के जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। हमराहियान जाब्ते में उपस्थित श्री राकेश कुमार, सहायक उप निरीक्षक पुलिस को गिरफतारशुदा आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीणा मय मेडिकल तेहरीर सुपुर्द कर हमराहियान जाब्ते के साथ राजकीय अस्पताल, दौसा से आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। दौराने ट्रैप कार्यवाही कोविड–19 महामारी के सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित की गई। मन् उप अधीक्षक पुलिय मय हमराहियान जाब्ता, परिवादी, स्वतंत्र गवाहान मय गिरफतारशुदा आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीणा मय सरकारी वाहन एवं साजो सामान के रवाना होकर घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री बाबूलाल मीणा को ब्यूरो कार्यालय में पहुंचने की हिदायत कर रवाना किया गया। तत्पश्चात एसएमएस होस्पीटल, जयपुर पहुंचकर आरोपी का कोविड–19 का परीक्षण करवाया जाकर ब्यूरो मुख्यालय पहुंचकर गिरफतारशुदा आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीणा को बंद हवालात करवाया गया।

तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी के समक्ष कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन के समय दिनांक 26.04.2022 को सह परिवादी श्री प्रहलाद तथा श्री बनवारीलाल, उप निरीक्षक पुलिस के मध्य हुई वार्ता, परिवादी श्री बाबूलाल मीणा तथा आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीणा कानि0 के मध्य हुई वार्ता तथा दिनांक 04.05.2022 एवं दिनांक 05.05.2022 को ट्रेप कार्यवाही से पूर्व परिवादी श्री बाबूलाल मीणा तथा आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीणा के मध्य मोबईल पर व्हाट्स एप्प कॉल पर हुई वार्ताऐं, जो डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, को दोनों गवाहान एवं परिवादी को उक्त रिकॉर्ड वार्ताऐं सुनाई जाकर फर्द वार्ता रूपान्तरण तैयार कर जाकर सभी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष उक्त वार्ताओं की कम्प्यूटर के जरिये तीन सी.डी. तैयार कर मार्का अंकित कर सील्डमोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कोर्ड, जिसमें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के माध्यम से उक्त वार्ताओं की वॉयस क्लिप सेव है को

डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से निकालकर नियमानुसार सफेद कपडे की थेली में शील्ड कर मार्का अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। प्रकरण में जब्तशुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाकर रसीद प्राप्त की गई।

आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीणा, कानि0 588, पुलिस थाना नांगल राजावतान जिला दौसा से पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट पृथक से मूर्तिब किये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। गिरफ्तारशुदा आरोपी को बाद पूछताछ माननीय न्यायालय में पेश किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया।

अब तक की कार्यवाही में श्री बनवारी लाल जाटव, उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी, पुलिस थाना नांगल राजावतान जिला दौसा की भी भूमिका संदिग्ध प्रतीत हुई है क्योंकि परिवादी श्री बाबूलाल मीणा के विरूद्ध पुलिस थाना नांगल राजावतान पर दर्ज प्रकरण 113/2022 का अनुसंधान श्री बनवारीलाल, उप निरीक्षक पुलिस द्वारा किया जा रहा था जिसमें परिवादी को गिरफतार नहीं कर एफआर दिलवाने की ऐवज में आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीणा कानि0 द्वारा स्वयं तथा पुलिस थाना नांगल राजावतान पर पदस्थापित थानाधिकारी तथा अन्य के लिये तीन लाख रूपये की रिश्वत की मांग कर उक्त मांग के अनुसंरण में वरवक्त ट्रैप कार्यवाही 1,00,000/– रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़ा गया है। वरवक्त कार्यवाही आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीणा कानि. नं0 588 द्वारा रिश्वत राशि स्वयं के लिये प्राप्त करना बताये जाने तथा श्री बनवारी लाल, उप निरीक्षक पुलिस ने पूछताछ के दौरान आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीणा कानि0 नं0 588 से परिवादी के प्रकरण के सम्बंध में कोई बातचीत नहीं होना अवगत कराया है। रिश्वत मांग सत्यापन के समय परिवादी तथा आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीणा कानि0 588 के मध्य हुई वार्ता को सुनने पर आरोपी द्वारा स्वयं के लिये तथा पुलिस थाना नांगल राजावतान पर पदस्थापित थानाधिकारी श्री बनवारी लाल, उप निरीक्षक, जो परिवादी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी भी है तथा अन्य के लिये रिश्वत की मांग करना पाया गया है। परिवादी द्वारा दिनांक 26.04.2022 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय परिवादी एवं आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीणा कानि0 588 के मध्य हुई वार्ता के दौराने आरोपी द्वारा श्री बनवारीलाल, उप निरीक्षक से वार्ता होना अवगत कराया गया है। इसके अलावा भी श्री बनवारी लाल, उप निरीक्षक पुलिस तथा सह परिवादी श्री प्रहलाद (परिवादी के साले) के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 26.04.2022 को हुई वार्ता की फर्द वार्ता रूपान्तरण के अवलोकन से श्री बनवारी लाल, उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा सह परिवादी श्री प्रहलाद से परिवादी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण के सम्बंध में वार्ता कर बातचीत को गोपनीय रखने तथा मामले में एफआर देने की वार्ता करना पाया गया है। उक्त वार्ता के अवलोकन से श्री बनवारी लाल, उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना नांगल राजावतान जिला दौसा की रिश्वत मांग करने की मंशा स्पष्ट होती है। इसके अतिरिक्त आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीणा कानि0 588 पुलिस थाना नांगल राजावतान ने भी दिनांक 06.05.2022 को पूछताछ के

(6)

दौरान परिवादी से रिश्वत राशि श्री बनवारीलाल, उप निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना नांगल राजावतान के कहने पर लेना बताकर दिनांक 26.04.2022 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय परिवादी श्री बाबूलाल मीणा से वार्ता के दौरान भी स्वयं द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना नांगल राजावतान से परिवादी के कार्य के सम्बंध में बात कर रिश्वत के सम्बंध में वार्ता करना अवगत कराया है, जिसकी पुष्टि परिवादी द्वारा अवगत कराये गये तथ्यों से होती है जिसने रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीणा द्वारा थानाधिकारी से वार्ता करना अवगत कराया गया है। इस सम्बंध में विस्तृत अनुसंधान से ही संदिग्ध श्री बनवारीलाल, उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी, पुलिस थाना नांगल राजावतान की भूमिका तथा आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीणा कानि0 588 से मिलीभगत स्पष्ट की जा सकती है।

सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीना पुत्र श्री गोपीलाल मीना उम्र 45 साल निवासी जोड़ल्या की ढाणी, भगलाव, दौसा हाल कानि0 नम्बर 588, पुलिस थाना नांगल राजावतान, जिला दौसा द्वारा परिवादी श्री बाबूलाल मीणा के विरूद्ध पुलिस थाना नांगल राजावतान के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में परिवादी को गिरफतार नहीं करने तथा प्रकरण में एफआर दिलवाने की एवज में स्वयं तथा पुलिस थाना नांगल राजावतान पर पदस्थापित थानाधिकारी श्री बनवारी लाल उप निरीक्षक एवं अन्य के लिये तीन लाख रूपये के मांग कर उक्त मांग के अनुसंरण में दिनांक 05.05.2022 को दौराने कार्यवाही परिवादी से 1,00,000/– रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपीगण श्री जगदीश प्रसाद मीना पुत्र श्री गोपीलाल मीना उम्र 45 साल निवासी जोड़ल्या की ढाणी, भगलाव, दौसा हाल कानि0 नम्बर 588, पुलिस थाना नांगल राजावतान, जिला दौसा एवं श्री बनवारी लाल पुत्र स्व0 श्री सम्पत राम जाति जाटव उम्र 49 साल निवासी मंगलेशपुर पुलिस थाना रामगढ जिला अलवर हाल उप निरीक्षक, पुलिस थाना नांगल राजावतान, जिला दौसा के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) एवं 120 बी भादंसं. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु मुख्यालय प्रेषित है।

(परमेश्वर लाल)
उप अधीक्षक पुलिस
विशेष अनुसंधान ईकाई
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीना, कानि. नम्बर 588, एवं 2. श्री बनवारी लाल, उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी, पुलिस थाना राजावतान, जिला दौसा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 166/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

6/5/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 1448-53 दिनांक 6.5.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-2 जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला दौसा।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर